जीसीएमएस नबंरः–2020/00067

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 28/2020

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कलवंत सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 1 चक छोटी, तह. व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 03 एच छोटी, तह. व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 3 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2020 जिसकी रूह से निगरानीकर्ता के अहाता संख्या 12,31,32 से उसके बेदखल करने का आदेश दिया गया बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बत्तरा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. राजकीय अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता।

दिनांक :11.11.2025

आदेश

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निगरानीकृत आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के दादा धारा सिंह पुत्र भगत सिंह ने नीलामी पर अहाता संख्या 12,31,32 दिनांक 25.05.1969 को खरीद किया गया। इस अहाता के संबंध में प्यारा सिंह ने एक निगरानी ग्राम पंचायत के आदेश के खिलाफ जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि दिनांक 18.07.1987 को खारिज की गई तथा निगरानीकर्ता के दादा का नीलामी पर लिया गया प्लाट सही माना तथा उपरोक्त अहाता गली में होना नहीं माना, लेकिन प्यारा सिंह की निगरानीकर्ता के दादा के साथ रंजिश थी, इसलिए उसने एसडीएम श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता के दादा ने सार्वजनिक गली पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जिस पर एसडीएम, श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ निगरानी की गई, जो कि दिनांक 12.04.89 को खारिज की गई, जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेटीशन पेश की गई जो कि दिनांक 29.01.1999 को खारिज हो गई, लेकिन निगरानीकर्ता से पुरानी रंजिश होने से अब गैर निगरानीकर्ता उसको प्लाट से बेदखल करना चाहता है जबकि निगरानीकर्ता के हक में तमाम निर्णय हो चुके हैं लेकिन इसके बावजुद गैर निगरानीकर्ता ने दिनांक 29.06.2020 को आदेश

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

दिया किया कि निगरानीकर्ता उपरोक्त अहाता से कब्जा छोड़ देवें वरना निगरानीकर्ता को जबरन बेदखल किया जावेगा, उपरोक्त आदेश के खिलाफ जनाबवाला के समक्ष निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर निगरानी पेश कर रहा है:-

1. यह कि ग्राम पंचायत का आदेश गैर कानूनी है, यह दोबारा मिसल के है, नकल आदेश शामिल है।

2. यह कि निगरानीकर्ता के दादा धारा सिंह द्वारा नीलामी पर प्लाट सं. 12,31,32 लिया गया, जिसकी तमाम राशि उसने जमा करवा दी थी, यह तथ्य ग्राम पंचायत के सामने मौजूद थे मगर गैरनिगरानीकर्ता ने अवलोकन तक नहीं किया, अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

3. यह कि इस अहाताजात जो निगरानीकर्ता ने नीलामी पर खरीद किये के खिलाफ प्यारा सिंह ने जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष एक निगरानी पेश की, जिसमें यह कहा गया उपरोक्त भूखंड सडक की जगह में है, जिस पर जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर प्यारा सिंह की निगरानी खारिज की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के दादा को जो भूखंड नीलाम किया गया उसको सही माना गया तथा उपरोक्त भूखंड में सडक की जगह नहीं मानी गई, नकल फैसला शामिल है।

4. यह कि इसी बीच में एक प्रार्थना पत्र प्यारा सिंह द्वारा उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता के दादा ने रास्ता बंद कर दिया, जिसे खोला जावे मगर जांच होने के उपरांत उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्यारा सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ सैशन न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जिसके निर्णय के खिलाफ माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेटीशन पेश की गई।

5. यह कि गैर निगरानीकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर रखी है तथा उनके अनुचित प्रभाव में है, इसलिए वह गलत तौर से निगरानीकर्ता को तंग परेशान कर उसको उपरोक्त अहाताजात से बेदखल करना चाहता है।

6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा बिना निगरानीकर्ता को बुलाये सुने, बिना समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये उसे बेदखल करने का आदेश दिया गया, जो कि खारिज करने योग्य है।

7. यह कि निगरानीकर्ता का नाजायज कब्जा नहीं है बल्कि निगरानीकर्ता के दादा के नाम पट्टा जारी किया हुआ है, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त रिकॉर्ड का कोई अवलोकन नहीं किया।

8. यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे, जिनके आधार पर निगरानी काबिल मंजूरी के है।

9. यह कि निगरानी काबिल समाअत अदालवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है।

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 3 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जीसीएमएस नबंरः—2020/00067

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 28/2020

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कलवंत सिंह, जाति जटसिख, निवासी चक 1 चक छोटी, तह. व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 03 एच छोटी, तह. व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 3 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2020 जिसकी रूह से निगरानीकर्ता के अहाता संख्या 12,31,32 से उसके बेदखल करने का आदेश दिया गया बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित : 1. श्री ओमप्रकाश बत्तरा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. राजकीय अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता।

दिनांक :11.11.2025

आदेश

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निगरानीकृत आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के दादा धारा सिंह पुत्र भगत सिंह ने नीलामी पर अहाता संख्या 12,31,32 दिनांक 25.05.1969 को खरीद किया गया। इस अहाता के संबंध में प्यारा सिंह ने एक निगरानी ग्राम पंचायत के आदेश के खिलाफ जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि दिनांक 18.07.1987 को खारिज की गई तथा निगरानीकर्ता के दादा का नीलामी पर लिया गया प्लाट सही माना तथा उपरोक्त अहाता गली में होना नहीं माना, लेकिन प्यारा सिंह की निगरानीकर्ता के दादा के साथ रंजिश थी, इसलिए उसने एसडीएम श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता के दादा ने सार्वजनिक गली पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जिस पर एसडीएम, श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ निगरानी की गई, जो कि दिनांक 12.04.89 को खारिज की गई, जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेटीशन पेश की गई जो कि दिनांक 29.01.1999 को खारिज हो गई, लेकिन निगरानीकर्ता से पुरानी रंजिश होने से अब गैर निगरानीकर्ता उसको प्लाट से बेदखल करना चाहता है जबकि निगरानीकर्ता के हक में तमाम निर्णय हो चुके हैं लेकिन इसके बावजुद गैर निगरानीकर्ता ने दिनांक 29.06.2020 को आदेश

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिया किया कि निगरानीकर्ता उपरोक्त अहाता से कब्जा छोड़ देवें वरना निगरानीकर्ता को जबरन बेदखल किया जावेगा, उपरोक्त आदेश के खिलाफ जनाबवाला के समक्ष निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर निगरानी पेश कर रहा है:–

1. यह कि ग्राम पंचायत का आदेश गैर कानूनी है, यह दोबारा मिसल के है, नकल आदेश शामिल है।

2. यह कि निगरानीकर्ता के दादा धारा सिंह द्वारा नीलामी पर प्लाट सं. 12,31,32 लिया गया, जिसकी तमाम राशि उसने जमा करवा दी थी, यह तथ्य ग्राम पंचायत के सामने मौजूद थे मगर गैरनिगरानीकर्ता ने अवलोकन तक नहीं किया, अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

3. यह कि इस अहाताजात जो निगरानीकर्ता ने नीलामी पर खरीद किये के खिलाफ प्यारा सिंह ने जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष एक निगरानी पेश की, जिसमें यह कहा गया उपरोक्त भूखंड सडक की जगह में है, जिस पर जिलाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर प्यारा सिंह की निगरानी खारिज की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के दादा को जो भूखंड नीलाम किया गया उसको सही माना गया तथा उपरोक्त भूखंड में सडक की जगह नहीं मानी गई, नकल फैसला शामिल है।

4. यह कि इसी बीच में एक प्रार्थना पत्र प्यारा सिंह द्वारा उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि निगरानीकर्ता के दादा ने रास्ता बंद कर दिया, जिसे खोला जावे मगर जांच होने के उपरांत उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्यारा सिंह का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ सैशन न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जिसके निर्णय के खिलाफ माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेटीशन पेश की गई।

5. यह कि गैर निगरानीकर्ता सरपंच ग्रम पंचायत ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर रखी है तथा उनके अनुचित प्रभाव में है, इसलिए वह गलत तौर से निगरानीकर्ता को तंग परेशान कर उसको उपरोक्त अहाताजात से बेदखल करना चाहता है।

6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा बिना निगरानीकर्ता को बुलाये सुने, बिना समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये उसे बेदखल करने का आदेश दिया गया, जो कि खारिज करने योग्य है।

7. यह कि निगरानीकर्ता का नाजायज कब्जा नहीं है बल्कि निगरानीकर्ता के दादा के नाम पट्टा जारी किया हुआ है, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त रिकॉर्ड का कोई अवलोकन नहीं किया।

8. यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे, जिनके आधार पर निगरानी काबिल मंजूरी के है।

9. यह कि निगरानी काबिल समाअत अदालवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है।

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 3 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2020 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता ग्राम पंचायत 03 एच छोटी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र कमांक 117 दिनांक 05.10.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवंत सिंह निवासी 01 एच छोटी को अहाता संख्या 12,31,32 से बेदखल नहीं किया है। ग्राम पंचायत 03 एच छोटी में गांव 01 एच छोटी में कुछ ग्रामवासियों द्वारा आम रास्ते व सार्वजनिक जगहों पर अतिकमण किया हुआ है, जो कि वर्ष 2016 से इसके संबंध में शिकायत की गई उसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा पत्र 20/दिनांक 26.09.2020 को अतिकमणकर्त्ताओं को सामूहिक प्रथम नोटिस जारी किया गया था न कि केवल भूपेन्द्र सिंह को जिस कि फोटो प्रति ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में उपलब्ध है और वर्तमान में भूपेन्द्र सिंह द्वारा आम रास्ता अवरूध किया हुआ है जो 2016 से चला आ रहा अतिकमण का विवाद माननीय सिविल न्यायालय 02 श्रीगंगानगर में विचाराधीन चल रहा है। सूचना सादर प्रेषित है।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता के दादा धारा सिंह पुत्र भगत सिंह ने नीलामी पर अहाता संख्या 12,31,32 दिनांक 25.05.1969 को खरीद किया गया। इस अहाता के संबंध में प्यारा सिंह ने एक निगरानी ग्राम पंचायत के आदेश के खिलाफ जिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की, जो कि दिनांक 18.07.1987 को खारिज की गई तथा निगरानीकर्ता के दादा का नीलामी पर लिया गया प्लाट सही माना तथा उपरोक्त अहाता गली में होना नहीं माना, लेकिन प्यारा सिंह की निगरानीकर्ता के दादा के साथ रंजिश थी, इसलिए उसने एसडीएम श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि निगरानीकर्ता के दादा ने सार्वजनिक गली पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जिस पर एसडीएम, श्रीगंगानगर द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ निगरानी की गई, जो कि दिनांक 12.04.89 को खारिज की गई, जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय में पेटीशन पेश की गई जो कि दिनांक 29.01.1999 को खारिज हो गई, लेकिन निगरानीकर्ता से पुरानी रंजिश होने से अब गैर निगरानीकर्ता उसको प्लाट से बेदखल करना चाहता है जबकि निगरानीकर्ता के हक में तमाम निर्णय हो चुके हैं लेकिन इसके बावजुद गैर निगरानीकर्ता ने दिनांक 29.06.2020 को आदेश दिया किया कि निगरानीकर्ता उपरोक्त अहाता से कब्जा छोड़ देवें वरना निगरानीकर्ता को जबरन बेदखल किया जावेगा। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत 3 एच छोटी तह. श्रीगंगानगर दिनांक 29.06.2020 जिससे निगरानीकर्ता के अहाता संख्या 12,31,32 से उसे बेदखल करने का आदेश दिया गया के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन करने से पाया गया कि कार्यालय ग्राम पंचायत 03 एच छोटी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रथम नोटिस कमांक 20 दिनांक 29.06.2020 ग्राम 01 एच छोटी के ग्रामवासियों को सामुहिक रूप से अपने घरों के आगे व गलियों में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमण बाबत् जारी किया गया है। कार्यालय ग्राम पंचायत 03 एच छोटी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रथम नोटिस सामूहिक रूप से घरों के आगे व गलियों में अतिक्रमण के विरूद्ध जारी किया गया है, न कि निगरानीकर्ता को अहाता संख्या 12,31,32 से बेदखल करने हेतु जारी किया गया है, जबकि निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी अहाता संख्या 12,31,32 से निगरानीकर्ता को बेदखल करने बाबत् जारी नोटिस के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि ग्राम पंचायत 03 एच छोटी द्वारा जारी नोटिस 01 एच छोटी के ग्रामवासियों के नाम सामूहिक रूप से जारी किया गया है। फलस्वरूप निगरानकर्ता की निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner